



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 11,000/- रु० के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु०अ०सं०-200/2017 धारा-363,366 भा०द०सं० व 08 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अजय पुत्र जयनारायन निवासी फत्तेपुर शिवपुरी थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास व 11,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक  
एडीजीसी रुद्र प्रताप  
सिंह



विवेचक-  
निरी० अनिल  
कुमार सिंह



पैरोकार  
थाना - मौदहा  
का० प्रदीप भार्गव